<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैत्त</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः— 311 / 14</u> <u>संस्थापन दिनांकः—28 / 05 / 14</u> <u>फाईलिंग नं. 233504003402014</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि क्त द्ध

विष्णु पिता ठोंडू यादव उम्र 36 वर्ष, निवासी डोडावानी, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 03.05.2018 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 30.04.2014 को 07:00 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत ग्राम डोडावानी फरियादी का खेत लोक स्थान या उसके समीप फरियादी रामिकशोर को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रामिकशोर को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 29.04.2014 को फरियादी के हिस्से की जमीन को उसके भतीजे अभियुक्त ने जोत लिया था। घ ाटना दिनांक 30.04.2014 को जब उसने अभियुक्त से जमीन जोतने की बात बोला तो अभियुक्त ने इसी बात को लेकर उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी और मादरचोद जमीन मेरी है कहकर लकड़ी से मारपीट किया जिससे उसे दांहिने हाथ के पंजे में चोट आकर सूजन आयी। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट लिखाने पर जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 308/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग

पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
- 2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
- 3. क्या इससे फरियादी एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
- 4. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी रामकिशोर को लकडी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 5. क्या ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
- 6. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
- 7. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 06 का निराकरण

- 5 रामिकशोर (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त ने घटना के समय उसे गंदी गंदी गालियां दी थी। साक्षी ठोटा (अ.सा.—2) एवं ओमकार (अ.सा.—3) ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि अभियुक्त घटना के समय फरियादी को गाली गलौच कर रहा था।
- 6 साक्षी / फरियादी रामकिशोर (अ.सा.—1), ठोटा (अ.सा.—2) एवं ओमकार (अ.सा.—3) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा घटना के समय गंदी गंदी गाली गलौच करने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षीगण

ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन—किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरूद्ध रामिकशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में फरियादी रामिकशोर (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त बोल रहा था कि यदि वह रिपोर्ट करेगा तो जान से खत्म कर देगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि फरियादी रामकिशोर (अ.सा.-1) ने अपने कथनों में अभियुक्त द्वारा उसे जान से खत्म कर दूंगा की धमकी दिया जाना बताया है। अभियुक्त द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उसके द्वारा दी गयी धमकी को कियान्वित करने का आशय रहा हो। जान से मारने की धमकी ऐसी होनी चाहिए जिससे फरियादी के मन में यह भय पैदा हो जाये कि ऐसी धमकी का कियान्वयन भी किया जा सकता है। आपराधिक अभित्रास गठित करने के लिए धमकी वास्तविक होना चाहिए तथा संत्रास कारित करने का आशय होना चाहिए। यदि ऐसी धमकी देने का आशय उसे कार्यरूप में परिणित करने का न हो और फरियादी भयभीत न हुआ हो तो अपराध गठित नहीं होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत लक्ष्मण विरुद्ध म.प्र. राज्य 1989 जे.एल. जे. 653 अवलोकनीय है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं०सं० का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04 एवं 05 का निराकरण

8 रामिकशोर (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि अभियुक्त विष्णु ने हाथ मुक्के से मारपीट की थी। उसके हाथ सिर और पेट पर मारा था जिससे उसके दांहिने हाथ के पंजे पर चोट आकर सूजन आ गयी थी। थाने में उसने रिपोर्ट की थी और उसका मेडिकल परीक्षण हुआ था। ठोटा (अ. सा.—2) एवं ओमकार (अ.सा.—3) ने यह बताया है कि खेत जोतने की बात पर से अभियुक्त ने रामिकशोर को लाठी से मारा था जिससे उसके हाथ में चोट आयी थी।

डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-4) ने दिनांक 30.04.2014 को सीएचसी

आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत रामिकशोर का परीक्षण किये जाने पर आहत के दांहिने हाथ की हथेली पर 4 गुणा 3 सेमी. आकार की सूजन पायी थी। साक्षी ने आहत को आयी चोट कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी—3) को भी प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी रामिकशोर, ठोटा एवं ओमकार के कथनों से अभियोजन द्वारा वर्णित समयाविध में आहत रामिकशोर को चोट आने के तथ्य की संपृष्टि होती है।

- 10 जी.पी. रम्हारिया (अ.सा.—5) ने दिनांक 30.04.2014 को पुलिस थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क. 308 / 14 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी—2) तथा दिनांक 15.05.2014 को अभियुक्त से एक बांस की लकड़ी जप्त कर (प्रदर्श पी—4) का जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी—5) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है।
- 11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के कथनों में परस्पर विरोधाभास है तथा अभियुक्त एवं फरियादी के मध्य जमीनी विवाद पूर्व से है। रंजिशवश अभियुक्त को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, जिससे अभियोजन कथा संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।
- वचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में रामिकशोर (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि शामिलशरीक जमीन का उसके पिता ने बंटवारा किया था। उसके हिस्से में 6 एकड़ भूमि आयी थी लेकिन 25 डिसमिल जमीन अभियुक्त विष्णु ने छुड़ा ली थी। जब वह घटना के दिन खेत गया तो अभियुक्त विष्णु से बोला कि तुम मेरे हिस्से की जमीन को मत जोतो लेकिन अभियुक्त ने जबरदस्ती जमीन को जोत दिया और उसके साथ मारपीट की। अभियुक्त लकड़ी लेकर आया था लेकिन लकड़ी से मारपीट न कर हाथ मुक्के से मारपीट की थी जिससे उसके दांहिने हाथ के पंजे पर चोट आयी थी। ठोटा (अ.सा.—2) एवं ओमकार (अ.सा.—3) ने यह बताया है कि खेत जोतने की बात पर से अभियुक्त विष्णु ने रामिकशोर को लाठी से मारा था। बीच बचाव उन्होंने किया था तथा ओमकार और रामिकशोर के लड़के भी आ गये थे।
- 13 रामिकशोर (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त विष्णु उसका सगा भतीजा है। जमीनों का बंटवारा उसके पिता ने किया था। अभियुक्त से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद है। घटना के दिन

अभियुक्त से उसकी जमीन के बंटवारे के संबंध में बात हुई थी, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई थी। स्वतः में साक्षी ने कहा कि अभियुक्त ने उसे मार दिया था। इस सुझाव को गलत बताया है कि जमीन के बंटवारे के संबंध में रिपोर्ट लिखायी थी। स्वतः कहा कि मारपीट के संबंध में रिपोर्ट लिखायी थी। स्वतः कहा कि मारपीट के संबंध में रिपोर्ट लिखायी थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि लामा झूमी में गिरने से उसे चोट आ गयी थी। ठोटा (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जमीन जोतने के उपर से विवाद हुआ था। इस सुझाव को गलत बताया है कि किसने किसके साथ मारपीट की थी उसने नहीं देखा था। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि उसका भी पहले अभियुक्त विष्णु के साथ विवाद हुआ था इसलिए वह झूठे बयान दे रहा है। ओमकार (अ.सा.—3) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत बताया है कि उसे झगड़े के संबंध में ठोटा ने बताया था। स्वतः कहा कि झगड़े के समय वह घर पर था। जब मौके पर गया तब झगड़ा चल रहा था। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि उसके जाने के पहले किसने किसको मारा। स्वतः कहा अभियुक्त विष्णु ने मारा था।

- वचाव अधिवक्ता का यह महत्वपूर्ण तर्क रहा है कि फरियादी और अभियुक्त के बीच में जमीन विवाद के कारण रंजिश है परंतु रंजिश के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि रंजिश एक ऐसा तत्व है जो घटना का कारक भी हो सकता है और झूठा फंसाये जाने का आधार भी हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत Kailash Gour Vs. State of Assam (2012) 2 SCC 34 में यह प्रतिपादित किया गया है कि "Enmity being a double edged weapon, there could be motive on either side for commussion of offences as also for false implication" अर्थात रंजिश अपने आप में साक्षियों पर विश्वास न करने का कोई आधार नहीं होती है।
- प्रकरण में फरियाद रामिकशोर आहत होकर घटना का सर्वोत्तम साक्षी है। रामिकशोर अभियुक्त विष्णु के द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्णतः स्थिर है। साक्षी ठोटा एवं ओमकार ने भी अपने कथनों में अभियुक्त विष्णु द्वारा रामिकशोर की मारपीट किया जाना बताया है और वे भी अपने कथनों में स्थिर है। साक्षीगण के कथनों में कोई भी तात्विक विरोधाभास प्रकट नहीं हो रहा है। फरियादी रामिकशोर की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित है। घटना के तत्काल पश्चात फरियादी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी गयी है जिससे अभियुक्त को मिथ्या आलिप्त किये जाने की संभावना भी प्रकट नहीं हो रही है। प्रकरण में अभियुक्त विष्णु द्वारा आहत रामिकशोर को मारपीट किये जाने के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में रंजिश से भी बचाव अधिवक्ता को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

16 अभियुक्त के द्वारा फरियादी रामिकशोर को जमीनी विवाद के कारण मारपीट किया जाना उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्त को प्रकोपन दिया गया हो।

विचारणीय प्रश्न क. 07 का निराकरण

पुक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रामिकशोर को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रामिकशोर को मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की फलतः अभियुक्त विष्णु को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

18 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:— दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थिगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

19 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी. पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरूद्ध मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

20 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर उसे उपहित कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली—भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय—संगत नहीं है।

21 अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त एवं फरियादी एक ही परिवार के सदस्य है एवं घटना में फरियादी को साधारण प्रकृति की मात्र एक चोट आना प्रमाणित हुई है। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को केवल न्यायालय उठने तक के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्त को धारा 323 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/—रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिकृम में किया जाता है तो उसे एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

22 प्रकरण में जप्त सुदा एक बांस की लाठी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

23 धारा 357(1) दं.प्रं.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की संपूर्ण राशि आहत रामिकशोर पिता श्यामलाल यादव, निवासी डोडावानी, थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अविध पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

24 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

25 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)